भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4909

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजनाओं का कार्यान्वयन

4909. सुश्री सयानी घोषः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को बंद करने अथवा प्रतिस्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधि, संवितरित प्रोत्साहन और आकर्षित किए गए निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएलआई योजना के कार्यान्वयन में आ रही प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई प्रोत्साहन योजना में पीएलआई ढांचा बरकरार रहेगा और यदि हां, तो इससे दक्षता और प्रभावशीलता किस प्रकार सुनिश्चित होगी; और

(ङ) क्या सरकार ने पीएलआई योजना को संशोधित करने या प्रतिस्थापित करने से पहले उद्योग के हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं और अपनी स्कीम की अवधि के अनुसार अभी जारी हैं।

(ख) और (ग): भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स

(एसी और एलईडी) (x) खाद्य सामग्री, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों के दौरान उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है।

पीएलआई स्कीमों के तहत चिह्नित सभी अनुमोदित क्षेत्र, ऐसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर फोकस करने के व्यापक मानदंडों का पालन करते हैं, जिनमें भारत बढ़त हासिल कर सकता है और रोजगार, निर्यात को कई गुना बढ़ा सकता है तथा अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांच और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदित किया गया था।

दिसंबर, 2024 तक, 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 11.5 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं। दिनांक 26.03.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत, 11 क्षेत्रों नामत: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, विशेष इस्पात तथा ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए 18,788 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

(घ) और (ङ): उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****